न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 3/2023 (GCMS No. 2023/3) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. केशव पुत्र घासीलाल
2. रामश्री पुत्र घासीलाल
3. सियाराम पुत्र घासीलाल
4. रूकमणी पुत्री घासीलाल
5. छीतर पुत्र कलुआ
6. मोहनलाल पुत्र कल्ला
7. बत्तू पुत्र मोती
8. बाबू पुत्र रामचन्द्र
9. हटीला पुत्र छोटे
10. श्रीलाल पुत्र छोटे
11. कल्याण पुत्र छोटे
12. रामेश्वर पुत्र छोटे
13. राधे पुत्र छोटे
14. मदनमोहन पुत्र गोपी
15. रामनिवास पुत्र गोपी
16. प्रकाश पुत्र गोपी
17. कन्हैया पुत्र नथुआ
18. हरि पुत्र नथुआ
19. प्रभु पुत्र नथुआ
20. राजाराम पुत्र नथुआ
21. रघुवीर पुत्र नथुआ
22. घनश्याम पुत्र बुधु
23. परमोली पुत्र देवीलाल
24. गोपाल पुत्र देवीलाल
25. सागरसिंह पुत्र मोहनलाल
26. जतनसिंह पुत्र मोहनलाल
27. करण पुत्र चौथी
28. धर्मेन्द्र पुत्र चौथी

समस्त जातियान माली निवासीयान ग्राम

पातरी (विचपुरी) तहसील व जिला करौली।

.....अपीलान्ट्स

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील कार्यालय करौली।
2. उप वन संरक्षक (भू संरक्षण) करौली।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 13.10.2022 प्रकरण संख्या 31/2020 उनवानी घासीलाल वगै. वनाम राज. सरकार वगै.।

उपस्थितिः—

1. श्री विष्णुचन्द बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य

दिनांक : 20.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 13.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादग्रस्त आराजीयात का दिनांक 09.11.1955 को वन विभाग रेस्पो. संख्या 2 के हक में राजस्व विभाग जयपुर द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना माना है जबकि उक्त दिनांक 09.11.1955 को भूमि राजकीय भूमि नहीं रही बल्कि महाराजा करौली श्री गणेशपाल वल्द भोमपाल कौम राजपूत साकिन करौली की खातेदारी में दर्ज रही। उक्त इन्द्राज संवत् 2015 यानि सन् 1958 में दर्ज रहे हैं। इन आराजीयात के बावत् दिनांक 09.11.1955 को वन विभाग रेस्पो. नं. 2 के हक में गजट नोटिफिकेशन जारी होने का कानूनन कोई प्रश्न नहीं है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

इन्द्राज जमाबंदी सन् 1976 तक बदस्तूर महाराजा श्री गणेशपाल के हक में रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का दिनांक 09.11.1955 को वन विभाग रेस्पो. संख्या 2 के हक में राजस्व विभाग जयपुर द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाना माना है जबकि उक्त दिनांक 09.11.1955 को भूमि राजकीय भूमि नहीं रही बल्कि महाराजा करौली श्री गणेशपाल वल्द भोमपाल कौम राजपूत साकिन करौली की खातेदारी में दर्ज रही। उक्त इन्द्राज संवत् 2015 यानि सन् 1958 में दर्ज रहे हैं। इन आराजीयात के बावत् दिनांक 09.11.1955 को वन विभाग रेस्पो. नं. 2 के हक में गजट नोटिफिकेशन जारी होने का कानूनन कोई प्रश्न नहीं है। इन्द्राज जमाबंदी सन् 1976 तक बदस्तूर महाराजा श्री गणेशपाल के हक रहे हैं। वन भूमि नहीं हो सकती है। विवादित आराजी का सीलिंग का प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आज भी विचाराधीन है। गजट नोटिफिकेशन के साथ प्रस्तुत इन्तखाब खसरा बन्दोवस्त में कोई संवत् व दिनांक अंकित नहीं है। ख.नं. 694 से 709 ग्राम बिचपुरी महाराजा करौली श्री गणेशपाल की खातेदारी में दर्ज है। परिशिष्ट अ में विशेष विवरण में दो नोट वन बंदोवस्त अधिकारी जयपुर द्वारा दर्ज किये हुये हैं। नोट 1 में वन बंदोवस्त कार्यवाही जेरकार होने से अभिलेख फाईनल नहीं है एवं नोट 2 में यह अभिलेख सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मोहर नहीं होने से मुकम्मिल अभिलेख नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में वादग्रस्त भूमि का दिनांक 09.11.1955 को रेस्पो. सं. 2 वन विभाग के हक में गजट नोटिफिकेशन जारी होना कयासी तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय में विवेचन किया है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट्स के पितागण व खातेदारान भूमि वादग्रस्त महाराजा

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

श्री गणेशपाल के मध्य अपीलान्ट्स के पूर्वज बत्तू वगै. ने दिनांक 17.01.1974 को दावा इस्तकार हक व हुक्म इम्तनाई का न्यायालय उप जिलाधीश करौली में मु. नं. 67/74 उनवानी बत्तू वगै. बनाम महाराजा गणेशपाल वगै. प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलान्ट्स के पितागण व खातेदार तत्समय महाराजा गणेशपाल के मध्य राजीनामा दिनांक 08.07.1975 को हुआ जिसमें खातेदार प्रतिवादी महाराजा श्री गणेशपाल के अधिवक्ता श्री महाराजसिंह के जरिये भूमि वादग्रस्त ख.सं. 694 लगायत 706 ग्राम बिचपुरी तहसील करौली में अपीलान्ट्स के पितागण, पितामह बत्तू, घासीलाल वगै. को खातेदार काश्तकार होना माना है। इन समस्त तथ्यों व दस्तावेजों से भूमि पर अपीलान्ट्स के पितागण व अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त सैटिलमैंट संवत् 2015 से पूर्व से बतौर खातेदार काश्तकार होना साबित है। आराजीयात ख.नं. 694 लगायत 707, 796/744 किता 15 ग्राम पातरी बिचपुरी पटवारी हल्का हरनगर तहसील करौली पर अपीलान्ट्स सेटिलमेंट संवत् 2015 से पूर्व से अपने पूर्वजों के जमाने से काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयात में ही अपीलान्ट्स के पूर्वजों के समय के रिहायशी मकानात तथा गैत, बाडे एवं छाण, झौंपडियां बनी हुई हैं। जिन घरों में अपीलान्ट्स मय परिवार रिहायश करते हैं तथा अपनी मवेशी, भैंस, गाय आदि रखते हैं। उक्त में बनी मकानियातों का पता ही अपीलान्ट्स के राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, भामाशाह कार्ड, बीपीएल कार्ड आदि समस्त सरकारी रिकार्ड में हमेशा दर्ज हैं। अपीलान्ट्स के पास उक्त आराजीयात के अतिरिक्त अन्य भूमि नहीं है। करीब पचास परिवारों का जीवन यापन उक्त आराजीयात पर काश्त पर ही निर्भर है तथा चयनित बीपीएल परिवार के सदस्य हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से नियमन के आदेश हुये हैं। अपीलान्ट्स के पूर्वजों का पुराना कब्जा काश्त होने के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील में दर्ज हैं और अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स के पूर्वजों द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 21.07.1998 को तहसीलदार करौली ने अपीलान्ट्स के हक में उक्त आराजीयात का कब्जे के अनुसार नियमन करने हेतु प्रकरण उप जिला कलक्टर करौली को प्रस्तुत किया है जिससे अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा साबित है। सेटिलमेंट पूर्व संवत् 2015 से पूर्व

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

से पुश्तैनी कब्जा होने तथा उक्त आराजीयात अपीलान्ट्स के हक में नियमन योग्य होने के कारण वर्ष 2003 से पूर्व से अपीलान्ट्स अथवा अपीलान्ट्स के पूर्वजों के विरूद्ध बेदखली हेतु कार्यवाही कभी नहीं की गई। वर्ष 2003 से पूर्व अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत पैनल्टी जमा की जाकर अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त को बहाल रखा। वर्ष 2003 में तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजीयात के बावत अपीलान्ट्स के विरूद्ध मिथ्या तथ्यों के आधार पर नवीन अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार करौली को प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार करौली ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 45/2004 लगायत 57/04 कुल 14 पृथक पृथक दर्ज कर दिनांक 16.03.2004 को बेदखली के निर्णय पारित किये गये जिनके विरूद्ध भिन्न भिन्न अपीलें न्यायालय जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में प्रस्तुत कीं। जिला कलक्टर करौली द्वारा दिनांक 11.08.2004 को एक ही निर्णय से अपीलें स्वीकार कर नायब तहसीलदार करौली के निर्णय अपास्त किये गये। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपीलों में अपना पुराना पुश्तैनी कब्जा काश्त होने तथा रिहायशी घर आदि बने होने एवं स्वयं तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा काश्त होना स्वीकार करते हुये अपीलान्ट्स के पक्ष में नियमन की सिफारिश उपजिला कलक्टर करौली को करने का कथन किया तथा दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत किये। जिसके कारण जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा मानते हुये उक्त अपीलें स्वीकार कर रिमाण्ड की है कि प्रकरण में नियमन की कार्यवाही बावत् जांच पडताल कर एवं न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतया पालन कर पुनः निर्णय पारित करें। न्यायालय जिला कलक्टर करौली के अपील के उक्त निर्णय दिनांक 11.08.2004 की पालना में नायब तहसीलदार करौली द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया और उक्त प्रकरण लम्बित होते हुये पटवारी हल्का द्वारा संवत् 2065 में अपीलान्ट्स के विरूद्ध उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पुनः कर दी तथा नायब तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 28.09.2006 को पुनः बेदखली के आदेश पारित कर दिये। जिसकी अपीलें पुनः जिला कलक्टर करौली को की गई जिनमें जिला

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कलक्टर करौली द्वारा अपीलान्ट्स की अपीलें दिनांक 10.07.2007 को पुनः स्वीकार कर नायब तहसीलदार करौली के बेदखली आदेश अपास्त कर निष्कर्षित किया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट में अपीलान्ट्स का भूमिहीन की श्रेणी में आना और उक्त विवादित भूमि पर न्यूनतम संवत् 2033 से अतिक्रमी होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में नियमन के पर्याप्त आधार मौजूद है और इसी के मददेनजर पूर्व में वर्तमान न्यायालय द्वारा प्रकरण को नियमानार्थ प्रति प्रेषित किया गया था किन्तु नियमन के विरूद्ध निर्णय नहीं लिया जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2006 को अपास्त कर रिमाण्ड कर दिया। अपील न्यायालय के निर्णय की पालना में नायब तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 21.08.2007 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही अपास्त कर अपीलान्ट्स भूमिहीन है और इन्हीं आराजीयात से अपीलान्ट्स का जीवन यापन होता है। पत्रावलियां अपीलान्ट्स के पक्ष में नियमन करने हेतु उपजिला कलक्टर करौली को प्रेषित की गई जिस नियमन के लम्बित रहते हुये पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार करौली को कर दी जिसका निर्णय नायब तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 20.10.2008 को पारित किया कि उक्त प्रकरण की पत्रावलियां पूर्व में नियमन हेतु प्रेषित की गई हैं। इस कारण उक्त पत्रावलियां मूल ही उपजिला कलक्टर करौली को नियमन कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स का उक्त आराजीयात पर पैत्रिक तौर पर सेटिलमेंट संवत् 2015 से पूर्व से काबिज काश्त चला आ रहा है और उक्त आराजीयात में ही अपीलान्ट्स की रिहायश है तथा अपीलान्ट्स भूमिहीन है। उक्त आराजीयात ही अपीलान्ट्स के जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। उक्त वैधानिक स्थिति के बावजूद तहसीलदार करौली द्वारा उक्त आराजीयात को अपने आदेश से वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिनांक 24.11.2017 को दिये गये और उक्त आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 605 दिनांक 17.01.2018 से भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई। सन् 1955 में भूमि न

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

तो वन विभाग की थी और न ही सिवायचक दर्ज थी। 1955 से लगातार कब्जे की रिपोर्ट है। सेटिलमेंट 1959 में हुआ है। इस प्रकार 09.11.1955 का गजट नोटिफिकेशन फर्जी साबित होता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.10.2022 जिसकी प्रमाणित प्रति का आवेदन अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 17.10.2022 को किया गया। नकल दिनांक 02.11.2022 को तैयार होकर दिनांक 03.11.2022 को प्राप्त होने व राजकीय अवकाश होने के कारण लगे समय व अवकाशों का मुजरा करते हुये अपील अपीलान्ट्स 30 दिवस मियाद अन्दर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर करौली का निर्णय दिनांक 13.10.2022 एवं तहसीलदार करौली के निर्णय दिनांक 24.11.2017 व दिनांक 17.01.2018 बावत् नामांतरकरण संख्या 605 ग्राम बिचपुरी तहसील करौली निरस्त किये जावें।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा गजट अधिसूचना से विवादित आराजी वन भूमि घोषित की है। राज्य सरकार के आदेशों की पालना में ही आदेश तहसीलदार करौली द्वारा पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 694 लगायत 707, 696/744 कुल किता 15 ग्राम पातरी बिचपुरी तहसील करौली महाराज साहब करौली के खातेदारी की आराजी थी। दिनांक 09.11.1955 को वन विभाग के पक्ष में जारी नोटिफिकेशन विधि विरूद्ध था। अपीलान्ट के पितागण व महाराज साहब करौली के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर अपीलान्ट अपने पितागण के समय से ही विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलान्ट ने उक्त आराजी को

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपने हक में नियमन हेतु कई बार पत्रावली लगाई गई थी। पूर्व में भी जिला कलक्टर करौली के द्वारा अपने निर्णयों में भी उक्त आराजी को अपीलान्ट के हक में नियमन हेतु सिफारिश की थी, किन्तु अपीलान्ट के हक में उक्त विवादित आराजी का नियमन न कर तहसीलदार करौली ने अपने आदेश दिनांक 24.11.2017 से अपीलान्ट के कब्जे काश्त की उक्त आराजी को वन विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया और उक्त विवादित आराजी वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई।

6. विवादित आराजी खसरा नम्बर 694 लगायत 701, 703 लगायत 707 को वन विभाग के नाम दर्ज करने की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) दिनांक 09.11.1955 को जारी हुई थी। उक्त गजट नोटिफिकेशन का तत्समय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ था। तहसीलदार करौली के पत्र दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध अपील प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर करौली के यहॉ प्रस्तुत की गई थी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2017 में खसरा संख्या 694, 698, 702, 796/744 को कोई उल्लेख नहीं है। खसरा नम्बर 695, 696, 697, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 707 वांके ग्राम पातरी बिचपुरी को राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.11.1955 के आधार पर वन विभाग के नाम दर्ज करने हेतु पत्र जारी किया गया था जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 605 दिनांक 17.01.2018 द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 695, 696, 697, 699, 700, 703, 704, 705/849, 707, 707/815 को सिवायचक से वन विभाग के नाम दर्ज कर लिया गया। चूॅकि विवादित आराजीयात को राजस्व विभाग जयपुर द्वारा जारी विधिक अधिसूचना दिनांक 09.11.1955 के आधार पर ही तहसीलदार करौली ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2017 से राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.11.1955 को कहीं भी सक्षम स्तर पर चुनौती दी हो, ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधीनस्थ न्यायालय में और न ही न्यायालय हाजा में पेश किया। केवल तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 24.11.2017 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जबकि तहसीलदार करौली का उक्त आदेश

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

केवल राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.11.1955 की पालना के लिए ही जारी किया गया था। न्यायालय के मत में उक्त आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। वन विभाग के नाम दर्ज भूमि पर अतिक्रमण नियमित किया जाना किसी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में अधीनरथ न्यायालयों के आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश अधीनरथ न्यायालय जिला कलक्टर करौली दिनांक 13.10.2022 एवं तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 24.11.2017 व 17.01.2018 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर